महोबा पुलिस

दिनांक- 10.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1008/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 10.11.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ



दिनांक- 10.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1009/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उ0नि0 संदीप विमल मय हमराह कां0 अभिषेक पाठक के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त छोटेलाल पुत्र रामचरन कुचबंदिया, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी मोहल्ला कुल्लाई पहाड़िया, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा सम्बन्धित मुकदमा संख्या 603313/12, अपराध संख्या 695, धारा 26(1) भारतीय वन अधिनियम एवं धारा 9/5(क) वन अधिनियम में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

छोटेलाल पुत्र रामचरन कुचबंदिया उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मो0 कुल्लाई पहाड़िया, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 संदीप विमल

2.कां0 अभिषेक पाठक



दिनांक- 10.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1010/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्रीकान्त तिवारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त भरत उर्फ भारत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम ढिकवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा सम्बन्धित मुकदमा संख्या 1455/2020, अ0सं0 68/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

भरत उर्फ भारत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम ढिकवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह

2.उ0नि0 श्रीकान्त तिवारी



महोबा पुलिस

दिनांक- 10.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 1011/26

सर्किल कुलपहाड़ - थाना अजनर

थाना अजनर के ग्राम खमा में मारपीट के दौरान लोहे की रॉड से हमला कर युवक की मृत्यु के मामले में 04 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 लोहे की रॉड व 01 बांस की लाठी बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम ने थाना अजनर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 214/2026 धारा 115(2), 352, 105 बीएनएस से संबंधित 04 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.11.2026 को थाना अजनर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खमा में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में अभियुक्तगण द्वारा वादी रामेश्वर अहिरवार के भाई कृष्णकांत एवं नवल किशोर के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई थी। इस दौरान कृष्णकांत के सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार किया गया, जिससे अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी।

उक्त प्रकरण में उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण वैश्य मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 10.11.2026 को 04 नामजद अभियुक्तगण 1. कमलेश अहिरवार पुत्र लखनलाल अहिरवार उम्र 35 वर्ष, 2. मुकेश अहिरवार पुत्र लखनलाल अहिरवार उम्र 23 वर्ष, 3. राजपाल अहिरवार पुत्र लखनलाल अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा एवं 4. सुनीता पत्नी पुष्पेन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम जेरा खास थाना जेरोन जनपद निवाड़ी (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद लोहे की रॉड एवं 01 अदद बांस की लाठी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

बरामदगी:

- 02 अदद लोहे की रॉड
- 01 अदद बांस की लाठी

गिरफ्तार अभियुक्तगण:

1. कमलेश अहिरवार पुत्र लखनलाल अहिरवार उम्र 35 वर्ष।
2. मुकेश अहिरवार पुत्र लखनलाल अहिरवार उम्र 23 वर्ष।
3. राजपाल अहिरवार पुत्र लखनलाल अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण ग्राम खमा थाना अजनर महोबा
4. सुनीता पत्नी पुष्पेन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम जेरा खास थाना जेरोन जनपद निवाड़ी (मध्य प्रदेश)



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य 2.उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी
3.का0 अमन यादव 4.का0 भरत सिंह 5.म0का0 नेहा देवी